


आचार चैनल नियमन

विषय-वस्तु

| | |
|--|---|
| 1. लक्ष्य..... | 2 |
| 2. गोपनीयता और कोई जवाबी कार्रवाई नहीं | 2 |
| 3. दायरा..... | 2 |
| 4. भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ..... | 3 |
| 5. शिकायत का निपटान..... | 3 |

| | | | |
|---|--------------------------|---------|----------------|
|  | <h2>आचार चैनल नियमन</h2> | कोड: | CIE CO CP M 03 |
| | | संशोधन: | 01 |
| | | पृष्ठ: | 3 का 3 |

1. लक्ष्य

CIE ऑटोमोटिव, एस.ए. (यहाँ से आगे, "CIE") ने चैनल स्थापित किए हैं जिन के माध्यम से, बिना किसी अपवाद के, सभी निदेशक, प्रबंधक, कर्मचारी और CIE ऑटोमोटिव, एस.ए. की सभी कंपनियाँ अनियमितताओं या CIE की आंतरिक व्यावसायिक आचार संहिता (यहाँ से आगे, "आचार संहिता") के किसी भी उल्लंघन के साथ-साथ ऐसे गैरकानूनी व्यवहार या आचरण को सूचित करते हैं जो कानूनी व्यक्तियों के लिए संभावित रूप से आपराधिक दायित्व उत्पन्न करते हैं।

CIE द्वारा स्थापित चैनल निम्नलिखित हैं:

- इलेक्ट्रॉनिक नैतिकता चैनल: whistleblowerchannel@cieautomotive.com
- अनुपालन विभाग को संबोधित मेल निम्न पते पर भेजें:
Alameda Mazarredo 69, 8º C.P. 48009 Bilbao (Vizcaya), Spain.
- इंटरनेट आधारित सूचना और संचार चैनल तथा कंपनी की वेबसाइट।

इस दस्तावेज़ का उद्देश्य इन तंत्रों के नियमों को स्थापित करना है।

2. गोपनीयता और कोई जवाबी कार्रवाई नहीं

इन तीन चैनलों में से किसी का भी इस्तेमाल करते समय, शिकायतकर्ता की पहचान को हमेशा निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। हालांकि, CIE शिकायतकर्ता की पहचान को कड़ाई से गोपनीय रखेगी और इसे आरोपी पक्ष को प्रकट नहीं किया जाएगा।


स्थापित चैनलों का इस्तेमाल कर के सद्भावना में संभावित अनियमितताओं के बारे में सूचित करने वालों के विरुद्ध किसी भी जवाबी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायत करने वाले किसी भी व्यक्ति के पास यह विश्वास करने के लिए उचित आधार होना चाहिए कि प्रकट की गई जानकारी किसी बड़ी समस्या को इंगित करती है।

दुर्भावनापूर्वक या जानबूझकर आरोप लगाया जाना सिद्ध होने पर CIE द्वारा जैसी आवश्यक समझी जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

3. दायरा

स्थापित तंत्र इस प्रकार सक्षम किए गए हैं कि संगठन से संबंधित सभी व्यक्ति, उन अनियमितताओं या उल्लंघन के बारे में सूचित करते हैं जो अनैतिक हैं, निष्ठा हीन हैं या आचार संहिता में स्थापित दिशानिर्देशों संगठन से संबंधित सभी व्यक्ता उल्लंघन करते हैं।

| | | | |
|---|------------------------|---------|----------------|
|  | आचार चैनल नियमन | कोड: | CIE CO CP M 03 |
| | | संशोधन: | 01 |
| | | पृष्ठ: | 3 का 3 |

4. भूमिका और जिम्मेदारियां

अधिसूचना या परामर्श में तथ्य को सूचित करने वाले व्यक्ति की पहचान के लिए आवश्यक जानकारी तथा परामर्श या अधिसूचना का वर्णन शामिल किया जाना जरूरी है। सूचनाओं और परामर्श को अनुपालन विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इसका अध्ययन और संसाधन एक गोपनीय ढंग से किया जाएगा। शामिल पक्षों की जानकारी को देश में लागू प्रयोज्य डेटा संरक्षण अधिनियम के अनुसार प्रबंधित किया जाएगा।

इन चैनलों का अस्तित्व CIE की निगमित सामाजिक दायित्व समिति की जिम्मेदारी है, और उसका प्रबंधन, रखरखाव और उन्नयन अनुपालन विभाग की जिम्मेदारी है।

प्रस्तुत की गई सभी शिकायतें अनुपालन विभाग द्वारा एकत्रित और विश्लेषित की जाएंगी जो प्रत्येक मामले में कार्रवाई के प्रकार का फैसला करेगा। आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा पोस्ट या अन्य चैनलों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के मामलों में, इस विभाग के लिए बाध्यता होगी कि वह शिकायत की सूचना अनुपालन विभाग को दे।

5. शिकायत का निपटान

नैतिकता चैनल में कोई शिकायत प्राप्त होने पर, अनुपालन विभाग उसकी प्रासंगिकता या प्रकृति के आधार पर यह फैसला करेगा कि जांच करने की आवश्यकता है या नहीं। यह विश्लेषण किया जाना उचित नहीं माना जाता है, तो अनुपालन विभाग इसको रिकार्ड कर देगा और शिकायतकर्ता को निर्णय सूचित कर देगा।

इसके विपरीत प्रस्तुत की गई शिकायत की जांच करने का निर्णय लिए जाने पर, के अनुपालन विभाग इसका निपटान करने के लिए एक कार्य योजना निर्धारित करेगा। जांच स्वयं अनुपालन विभाग, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा की जा सकती है या यदि उचित समझा जाए तो किसी को प्रत्यायोजित की जा सकती है। जांच करने के लिए नियुक्त पक्ष निगमित सामाजिक दायित्व समिति के अध्यक्ष, बोर्ड के सचिव या अनुपालन विभाग के निदेशक के पूर्व अनुमोदन से, बाह्य लेखा परीक्षकों या अन्य सलाहकारों को जांच में मदद करने और परिणामों का विश्लेषण करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

जांच आयोजित करने वाला प्राधिकरण, अधिक जानकारी इकट्ठा करने और इस प्रकार जांच के लिए एक उचित और सामयिक कार्यक्रम प्रदान करने के लिए शिकायत के स्रोत के साथ बातचीत करने के लिए सशक्त किया जाएगा।

जांच पूरी होने के बाद, अनुपालन विभाग के सभी सदस्यों को इसकी एक प्रति देते हुए, उचित विस्तार के साथ और तथ्यों के एक स्पष्ट वर्णन के साथ एक रिपोर्ट जारी की जानी आवश्यक है। इस रिपोर्ट में कम से कम नीचे दी गई जानकारी शामिल होगी:

- ✓ शिकायत की प्राप्ति।

| | | | |
|---|------------------------|---------|----------------|
|  | आचार चैनल नियमन | कोड: | CIE CO CP M 03 |
| | | संशोधन: | 01 |
| | | पृष्ठ: | 3 का 3 |

- ✓ इसकी जाँच करने के लिए प्रयुक्त कार्यविधि।
- ✓ जांच के प्रलेखित परिणाम।
- ✓ अनुशंसित सुधारात्मक उपाय।

अनुपालन विभाग को प्राप्त जांच रिपोर्ट की समीक्षा करनी चाहिए और रिपोर्ट के परिणाम के आधार पर किए जाने वाले उपायों को अवश्य निर्धारित करना चाहिए। सुधारात्मक उपायों का अंतिम अनुमोदन निगमित सामाजिक दायित्व समिति द्वारा किया जाता है।

किसी भी स्थिति में, चाहे विश्लेषण किया गया या नहीं, प्राप्त हुई सभी शिकायतों के विवरण सहित एक लॉग, निगमित सामाजिक दायित्व समिति को नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।